



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240487
CG-DL-E-23112022-240487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5206]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 5206]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5435(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 238 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
238	367	भानापुर के निकट रारा-67 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर कुकुनूर, येल्लुर्गा, गजेंद्रगढ़, पट्टाडकल, गुलेदागुडा, बागलकोट को जोड़ने वाला और गड्डनकेरी के पास नई रारा संख्या 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग, जिसमें सबबालाहुनाशी गांव के

		पास अपने जंक्शन से शुरू होकर कर्नाटक राज्य में ऐहोल पर समाप्त होने वाला स्पर शामिल है।
--	--	--

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3851 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2022-पी ऐंड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5435(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 238 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
238	367	The highway starting from its junction with NH-67 near Bhanapur connecting Kukunur, Yelburga, Gajendragad, Pattadakal , Guledaguda, Bagalkote and terminating at its junction with new NH No. 52 near Gaddankeri and including spur starting from its junction near Sabbalahunashi village and terminating at Aihole in the State of Karnataka.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3851(E), dated 17th August, 2022.

[F. No. NH-14012/3/2022-P&M (Pt.)]

RAJESH GUPTA, Director